

06.05.2024 पत्रावली पेश हुई।

Not p...
19/2

अधिवक्ता आर्थात् अधिवक्ता / अधिवक्ता
आर्थात् न अपने आर्थात्-पत्र को
जिसे नोटिस में खारिज करने
का निवेदन किया।

अधिवक्ता आर्थात् के निवेदन पर
आर्थात्-पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान अधिनियम 2011
सार पर जिसे नोटिस खारिज
किया जा रहा है।

पत्रावली फिलहाल सुनार होकर
नम्बर से कम की जाकर दाखिल
करा है।

सहायक कलेक्टर एवं कायपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर

